मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गांरटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

क्रमांक/ 6577 /MIS/NR-10/MGNREGA-MP/13 भोपाल, दिनांक 23 /07/2013

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला– ....(समस्त)
मध्य प्रदेश

विषयः– ई–एफएमएस अंतर्गत सहकारी बैंकों/सहकारी समितियों के माध्यम से मजदूरों का भुगतान।

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मनरेगा अंतर्गत मजदूरों के खाते बड़ी संख्या में सहकारी बैंकों एवं सहकारी समितियों में संधारित है। उक्त सहकारी बैंक एवं सहकारी समितियां, कोर बैंकिंग अथवा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम में नहीं होने के कारण राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि उक्त बैंकों के फण्ड ट्रांसफर आर्डर जिला सहकारी बैंक के जिला स्तर पर कमर्सियल बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की जाये। इस संबंध में जनपद पंचायत के माध्यम से डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर आर्डर एनआरईजीए सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिला सहकारी बैंक के खाते में लगभग समस्त जिलों में भेजे जा रहे हैं।

जिला सहाकारी बैंक का यह दायित्व है कि वह एफटीओ के माध्यम से प्राप्त राशि को अधिकतम 03 दिवस के अंदर संबंधित सहकारी बैंक ब्रांच/सहकारी समितियों जहां पर मजदूरों के खाते में राशि हस्तांतरित की जाना है, राशि हस्तांतरित करें। जनपद पंचायतों के माध्यम से जारी एफटीओ तथा मजदूरों के खाते एवं हस्तांतरित की जाने वाली राशि का विस्तृत एफटीओ की जानकारी जिला सहकारी बैंकों को ई–मेल/मैनुअल भेजे जाने का प्रावधान किया हैं। अतः यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि सहकारी बैंकों के पास राशि हस्तांतरण होने के साथ–साथ मजदूरों का विस्तृत एफटीओ विवरण भी सहकारी बैंकों तक पहुंचे, जिससे कि संबंधित बैंक को राशि हस्तांतरण करने में सुविधा हो।

समीक्षा बैठकों में अवगत कराया जा रहा है कि सहकारी बैंकों के खातों में इलेक्ट्रानिक माध्यम से जारी राशि संबंधित सहकारी बैंक ब्रांचों तक समय पर हस्तांतरण नहीं की जा रही है, जिसके कारण मजदूरों के खाते में राशि पहुंचने में विलंब हो रहा है। कृपया यह जिला स्तर पर सहकारी बैंकों से समन्वय करते हुये यह सुनिश्चित करायें कि जिला सहकारी बैंक के खाते में राशि हस्तांतरण होने के उपरान्त अधिकतम 03 दिवस के अंदर संबंधित मजदूरों के खाते तक राशि पहुंच जाये।

22.7.13

(डॉ रवीन्द्र पस्तोर)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल